उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या-219/2025/आई/963814/23-1-25-25-23-1099/14/2024

लखनऊ : दिनांक 16 मई, 2025

अधिसूचना

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-आई/121754/2025, दिनांक 28.02.2025 द्वारा जनपद उरई (जालौन) में 02 मार्गों, कुल लम्बाई 64.435 कि0मी0 को प्रमुख जिला मार्ग की श्रेणी में उच्चीकरण किये जाने के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या-1061/2023/सा0-2296/23-1-2023-23-1099/196/2023, दिनांक 12.12.2023 में निहित व्यवस्था के अनुक्रम में, सम्यक विचारोपरांत श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण के अनुसार उपर्युक्त जनपद उरई (जालौन) में 02 मार्गों, कुल लम्बाई 64.435 कि0मी0 को उच्चीकृत करते हुए प्रमुख जिला मार्ग में परिवर्तित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	जनपद	प्रस्तावित मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0 मी0)	7 मी0 से कम चौड़ाई		भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता		प्रमुख जिला मार्ग संख्या
				लम्बाई (कि0मी0)	लागत (रू0 लाख में)	लम्बाई (कि0मी0 में)	लागत (रू0 लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(ब) जिनका आंशिक भाग पूर्व में 7.00 मीटर चौड़ाई में निर्मित है, परन्तु शेष भाग में चौड़ीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है।)								
1	जालौन	बिलरायां-पनवाड़ी (राज्य मार्ग सं0-21) के कि0मी0-346 पर स्थित सहाव मोड़ वाया राठौरानपुरा होते हुए म0प्र0सीमा तक मार्ग	41.800	41.800	10798.00	0.000	0.000	MD059B
2	जालौन	राष्ट्रीय मार्ग-27 के समीप उरई से राज्य मार्ग सं0-130 के	22.635	22.635	6680.00	0.000	0.000	MD057B

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	जनपद	प्रस्तावित मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0 मी0)	7 मी0 से कम चौड़ाई		भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता		प्रमुख जिला मार्ग संख्या
				लम्बाई (कि0मी0)	लागत (रू0 लाख में)	लम्बाई (कि0मी0 में)	लागत (रू0 लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		कि0मी0-42 में स्थित इटौरा तक मार्ग22.635						

2- उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-219/2025/आई/963814/23-1-25-23-1099/14/2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, गोमती नगर, लखनऊ।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0शासन।
7- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
11- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
12- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
13- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
14- गार्ड फाइल

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in